ई–मेल / भूमि अर्जन सम्बन्धी / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 61-39 / 10(भू0अ0) 14स / 2014 दिनांक: 8, फरवरी, 2016

विषय: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिकर कारक "अर्द्धनगरीय क्षेत्र" के लिए गुणांक 1.5 के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–मु0स0–1 / एक–13–2016–5क(25) / 13 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के साथ भूमि अध्याप्ति निदेशालय को भी सम्बोधित तथा प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को है। प्रश्नगत शासनादेश में वर्णित स्थिति से सभी सम्बन्धित को अवगत कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त **शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2016 की छायाप्रति संलग्न** करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत शासनादेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु अपने जनपद में कार्यरत भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोक्त।

भवदीय,

08.02.16

(डा0 महेन्द्र कुमार मिश्रा)
विशेष कार्याधिकारी / प्रभारी अधिकारी,
कृते निदेशक(भू0अ0)।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–13, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 महेन्द्र कुमार मिश्रा)
विशेष कार्याधिकारी / प्रभारी अधिकारी,
कृते निदेशक(भू0अ0)।

संख्या–yoसo–1/एक–13–2016–5क(25)/13टीसी

प्रेषक,

जय प्रकाश सागर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

2–निदेशक,

भूमि अध्याप्ति निदेशालय,

राजस्व परिषद, उ0प्र0,

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–13 लखनऊ दिनांक 04 फरवरी 2016

विषय– भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रतिकर कारक "अर्द्धनगरीय क्षेत्र" के लिए गुणांक 1.5 के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख करना है कि निर्देश प्राप्त हुए कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समिति के समक्ष इसे रखा जाय। समिति की सातवीं बैठक दिनांक 15–6–2015 को इस बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान यह उचित पाया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित गुणांक के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्टाम्प(सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 में परिभाषित " अर्द्धनगरीय क्षेत्र" के लिए अलग गुणांक की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि" अर्द्धनगरीय क्षेत्र" के लिए गुणांक 1.5 के रूप में अधिसूचित करने हेतु प्रकरण मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

2– प्रश्नगत मामलों में राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त विधिक परामर्श से स्पष्ट हुआ कि भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्रों का उल्लेख है, परन्तु अर्द्धनगरीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना संख्या–797/एक–13–2014–5क(25)/13 टी0सी0, दिनांक 22–10–14 भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची के कम संख्या–2 के सम्मुख दिये गये स्तम्भ(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निर्गत की गयी है और चूंकि अर्द्धनगरीय क्षेत्र का उल्लेख अधिनियम की पहली अनुसूची में नहीं है, इसलिए अर्द्धनगरीय क्षेत्र के संबंध में गुणांक 1.5 के रूप में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है।

3– कृपया उपरोक्त स्थिति से सभी संबंधित को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव

संख्या–मु0स0–1(1)/एक–13–2016 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव